/

कार्यालयः– अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आ0सं0 / सेवा0अराज0 / 338 / 3क(2) / तीन(12)–अ0उ0वि0 / 2026–27 दिनांक 08 जुलाई 2026

"कार्यालय आदेश"

शासनादेश संख्या–1157 / XXIV-B-1 / 2021–02(01) / 2020 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 17 मार्च 2021 एवं शासनादेश संख्या–1613 / XXIV-B-1 / 21–02(01) / 2020 TC-1 / माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 23 जुलाई 2021, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–3412 दिनांक 28 नवम्बर, 2025 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सेवा–2 / तीन(च) / 3(02) / 1593–95 / अ0उ0 / 2026–27 दिनांक 19 मई 2026 एवं पृ0सं0 / सेवा.अराज. / तीन(च)2 / 1941–47 / बैठक / 2026–27 दिनांक 04.06.2026 के द्वारा जारी कार्यवृत्त के द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 के पदों पर तैनाती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा–2025 के परीक्षाफल / प्रवीणता सूची के क्रम में **स0अ0एल0टी0 उर्दू** के पद पर निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा चयनित विकल्प के आधार पर निम्न तालिका में स्तम्भ संख्या–4 में अंकित अटल उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थापना की जाती हैः–

विषयः– उर्दू

क्र0 सं0	शिक्षक / शिक्षिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	पदस्थापित अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
संवर्ग–सामान्य शाखा				
1	मौ0 अरशद	अ0उ0रा0इ0का0 रूड़की, हरिद्वार	अ0उ0रा0इ0का0 रूड़की, हरिद्वार	पूर्व धारित पद (चयनित)

02. सम्बन्धित सहायक अध्यापक एल0टी0 अटल उत्कृष्ट विद्यालय में 05 वर्ष की अवधि के लिए तैनात / पदस्थापित किये जा रहे है।

03. उपरोक्त सहायक अध्यापक 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सम्बन्धित सहायक अध्यापकों की पदस्थापना अपने मूल संवर्ग में अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप की जायेगी।

04. राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय में 05 वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पूर्व चयन समिति द्वारा यदि ऐसा अन्यथा परीक्षणोपरान्त आवश्यक पाया जाय, तो निर्धारित अवधि से पहले भी सम्बन्धित सहायक अध्यापक की अटल उत्कृष्ट विद्यालय में निर्धारित अवधि से पूर्व तैनाती समाप्त की जा सकेगी।

05. अटल उत्कृष्ट विद्यालय में तैनाती के दौरान सम्बन्धित सहायक अध्यापक की सेवाऐं / सेवा अवधि शासनादेश संख्या / 1613 / XXIV-B-1 / 21–02(01) / 2020 TC-1 / माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 23 जुलाई 2021 एवं शासनादेश संख्या / 2232 / XXIV-B-1 / 22–02(01) / 2020 TC-1 / माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 07 जुलाई 2022 अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस संदर्भ में जारी आदेश / शासनादेशों से आच्छादित होगी।

06. अटल उत्कृष्ट विद्यालय में तैनाती के दौरान सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका का विषय विशेष में विगत 05 वर्षों का परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत से अधिक अथवा परिषदीय परीक्षा के औसत से अधिक (जो भी अधिक हो) तथा पी0टी0ए0 एवं छात्र परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष Outstanding रिपोर्ट प्रदान करने की दशा में शिक्षक / शिक्षिका की सहमति पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैनाती की अवधि आगामी 05 वर्षों तक बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

07. उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि से 07 दिन के अन्तर्गत सम्बन्धित सहायक अध्यापक को तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

08. फलित पद का विकल्प प्राप्त करने वाले कार्मिक विकल्पित विद्यालय में कार्यरत कार्मिक के विद्यालय से कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही अपने विद्यालय से कार्यमुक्त होंगे, अन्यथा की दशा में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/शिक्षक का होगा।

8/7/2026

(प्रमेन्द्र कुमार)
अपर शिक्षा निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल पौडी

पृ0सं0/सेवा0अराज0/ 4281-89 /3क(2)/तीन(12)-अ0उ0वि0/2026-27 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपिः- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, सम्बन्धित जनपद।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना खण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की अंकना ई-पोर्टल में कराना सुनिश्चित करें, साथ ही सूचना सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ कि उक्त निर्धारित समयावधि के भीतर तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ, देहरादून।
10. कार्यालय पत्रावली हेतु।

(प्रमेन्द्र कुमार)
अपर शिक्षा निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल पौडी